समाहरणालय, बक्सर

(आपूर्ति शाखा)

फोन नं0–(06183)222335(R),222336(O)
मो0–8544426112
ई–मेल – dm.buxar.bih@nic.in
ई–मेल – dsobuxar1@gmail.com

श्री अमन समीर, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 18.01.2021 को आयोजित खरीफ विपणन मौसम 2020–21 अन्तर्गत् धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स के बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितः– यथा पंजी।

आज दिनांक 18.01.2021 को खरीफ विपणन मौसम 2020–21 हेतु धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में की गयी। धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक में धान अधिप्राप्ति मौसम 2020–21 के सफल कार्यान्वयन हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं निम्नाकिंत निर्णय लिये गये :–

1. **धान अधिप्राप्ति से संबंधित समीक्षा :–** जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर के उपस्थिति में विभाग द्वारा बक्सर जिले को कुल 150000 एम0टी0 2020–21 का लक्ष्य दिया गया है, जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 18.01.2021 तक 4031 किसानों से 38284.38 MT धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है। इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को निदेशित किया गया कि धान अधिप्राप्ति तीव्र गति से करवाना सुनिश्चित करें, साथ ही सभी प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि संबंधित पैक्स/व्यापार मंडलों की नियमित जॉच कर किसानों से अधिक से अधिक धान अधिप्राप्ति पैक्स/व्यापार मंडल से कराते हुए जिला के लक्ष्य के प्राप्ति हेतु प्रतिदिन कम से कम 1500 (पन्द्रह सौ) एम0टी0 धान अधिप्राप्ति कराना सुनिश्चित करें, ताकि विभाग द्वारा दिये गये अधिप्राप्ति लक्ष्य कोससमय पूरा किया जा सके। जिस प्रखण्ड में लक्ष्य के अनुरूप धान अधिप्राप्ति नहीं हो रहा है, उस प्रखण्ड के प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी से कारण पृच्छा करें एवं अग्रेत्तर कार्रवाई करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उनके द्वारा भी कुछ पंचायतों का अधिप्राप्ति संबंधित निरीक्षण किया गया है, जिसमें पैक्सों द्वारा किसानों से धान अधिप्राप्ति संतोषजनक नहीं पायी गई है।

   जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को निदेशित किया गया है कि प्रखण्ड प्रसार पदाधिकारी वैसे पैक्स जो दो दिनों तक धान अधिप्राप्ति नहीं करते है तो वैसे पैक्स को चिन्हित कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें। साथ ही वैसे निबंधित किसानों की सूची तैयार कर प्रतिवेदित करे कि किसान के पास कितने धान अधिप्राप्ति प्राप्ति करने के लिए है और पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा अधिप्राप्ति नहीं किया गया है वैसे किसानों का धान अधिप्राप्ति कराते हुए एक Whatsapp Group तैयार कर अधिप्राप्ति किये गये किसानों का प्रतिदिन फोटो अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी बक्सर एवं सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को धान अधिप्राप्ति का प्रचार–प्रसार करने का निदेशित किया गया। अद्योहस्ताक्षरी के क्षेत्र भ्रमण में किसानों द्वारा धान नहीं लेने की शिकायत प्रायः प्राप्त हो रही है इस संबंध में जिला सहाकारिता पदाधिकारी बक्सर एवं सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसाद पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को नियमित रूप से प्रतिदिन क्षेत्र भ्रमण कर धान अधिप्राप्ति की गति बढाने का निदेश दिया तथा दोषी पाये जाने पर संबंधित पैक्स एवं अन्य के विरूद्ध

प्राथमिकी भी दर्ज करने का निदेश दिया गया। इस संबंध में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निदेशित किया गया कि प्रायः पैक्स अध्यक्ष/व्यापार मंडल अध्यक्ष किसानों का धान लेकर भी प्राप्ति पंजी में दर्ज नहीं करते है तथा प्राप्ति रसीद भी नहीं देते हैं जिसके कारण किसानों का काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी, को निदेशित किया गया कि सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को सख्ती से सभी किसानों से धान अधिप्राप्ति संबंधित पंजी का संधारण एवं रशीद उसी समय देने हेतु निदेश दिया गया। **(अनु0 : जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम/प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी किसान सलाहकार जिला बक्सर/सभी पैक्स/व्यापार मंडल)।**

2. **किसानों के भुगतान से संबंधित समीक्षा** :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर द्वारा इस संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि 4031 किसानों से धान अधिप्राप्ति की गई, जिसमें 2716 किसानों को कुल राशि 49.47 करोड़ रूपया मात्र का भुगतान किया गया है। शेष 1315 किसानों का एडवाईस जेनरेट कर दिया गया है। इस संबंध में प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि पैक्स अध्यक्ष एवं बैंकों से समन्वय स्थापित कर प्रतिदिन किसानों की भुगतान की समीक्षा कर यह सुनिश्चित कराये कि किसानों का भुगतान 48 घंटे के अंदर निश्चित रूप से किया जाय।

(अनु0 : जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी)

3. **किसानों का ऑनलाईन निबंधन** :– जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2020–21 अन्तर्गत प्रतिवेदित तिथि तक 10,525 किसानों का ऑन लाईन निबंधन किया गया है, जिसके विरूद्ध 10,098 किसानों का अधिप्राप्ति हेतु सत्यापन कर लिया गया है। इस पर कुल निबंधित किसानों एवं स्वीकृत किसानों की संख्या में अन्तर होने तथा कुल अधिप्राप्ति करने वाले किसानों की संख्या मात्र 427 होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिक से अधिक किसानों से धान अधिप्राप्ति करने हेतु निदेश दिया गया।

(अनु0 : जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी)।

4. **C.M.R. से संबंधित समीक्षा** :– जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कुल 352 लॉट प्राप्त कर 19.34 करोड़ रूपया मात्र का भुगतान भी कर दिया गया है। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कुल अधिप्राप्ति धान 39,405 एम0टी0 का सी0एम0आर0 26,401 एम0टी0 होता है। परन्तु प्रतिवेदित तिथि तक 9,504 एम0टी0 सी0एम0आर0 ही जमा किया गया है। अभी भी 2700 एम0टी0 सी0एम0आर0 आपूर्ति नहीं किया गया है। इस संबंध में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, बक्सर को शत् प्रतिशत् सी0एम0आर0 का आपूर्ति सुनिश्चित करने का शख्त निदेश दिया गया। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को निदेशित किया गया कि प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का अधियाचना के अनुसार मिल को बोरों की आपूर्ति करेंगे, ताकि धान अधिप्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न न हो। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि STR हेतु दिये गये आवेदनों को एक पंजी में संधारित करेंगे तथा STR हेतु दिये गये आवेदन में पहले आओं पहले पाओं (FIFO) के अनुसार कार्य किया जा सके। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा राशि भुगतान में

काफी विलम्ब किया जाता है। जिस कारण अधिप्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा इस संदर्भ में LDM से बात करने पर निदेशित किया गया कि 12:00 बजे दिन से पूर्व के ड्राफ्ट को उसी दिन भुगतान करने तथा 12:00 बजे के बाद ड्राफ्ट दुसरे दिन आवश्यक रूप से भुगतान करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, बक्सर को निदेश दिया गया कि पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा प्राप्त कराया गया CMR के बैग (बोरा) पर स्पष्ट रूप से पैक्स/व्यापार मंडल का नाम अंकित करेंगे एवं सभी राईस मिलों को पंजी का संधारण कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि यह मालुम हो कि किस पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा कितने मात्रा में धान मिल को प्राप्त कराया गया। इसका सत्यापन कर प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0 : जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम/जिला अग्रणी प्रबंधक (बैकिंग)/प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी)।

5. **गन्नी बैग से संबंधित समीक्षा** :- जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पैक्सों को सी0एम0आर0 उपलब्ध कराने हेतु ससमय गन्नी बैग उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, बक्सर द्वारा बताया गया कि गन्नी बैग प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध है। तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के अधियाचना के आधार पर गन्नी बैग पैक्स/व्यापार मंडलों को ससमय उपलब्ध करा दिया जाता है। इस संबंध में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा किये गये अधिप्राप्ति के समतुल्य सी0एम0आर0 के अनुसार ही गन्नी बैग उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा उपलब्ध कराये गये बोरों का समायोचित उपयोग करने हेतु सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को निरीक्षण एवं प्रयवेक्षण करने का सख्त निर्देश दिया गया।

(अनु0 : जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी)

6. **मिलों की टैगिंग संबंधित समीक्षा** :- जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक 34/दिनांक 11.01.2021 प्रतिवेदित किया गया है कि इस कार्यालय का ज्ञापांक 04-2449 आ0/दिनांक 30.12.2020 से वैना पैक्स प्रखण्ड नावानगर का मिल टैगिंग अम्बा भवानी जी राईस मिल, रूप सागर, नावानगर के साथ संबद्ध किया गया है एवं मझवारी पैक्स प्रखण्ड सिमरी का मिल टैगिंग दुर्गा मिनी राईस मिल, औद्योगिक क्षेत्र, बक्सर के साथ किया गया है। समिति अध्यक्ष उक्त मिलों में कार्य नहीं करना चाह रहे है जिस कारण आज तक उक्त समितियों के द्वारा संबंधित मिल के साथ एग्रीमेंट नहीं किया गया है। जिससे कार्य बाधित हो रहा है। पुनः उक्त दोनो समिति द्वारा मिल टैगिंग बदलने से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें समिति द्वारा वैना पैक्स, नावानगर एवं मझवारी पैक्स, सिमरी को अरबिन्द मिनी राईस मिल, पुराना भोजपुर, डुमरॉव से सम्बद्ध करने का अनुरोध जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा किया गया। इस संबंध में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निदेशित किया गया कि वैसे कितने पैक्स/व्यापार मंडल है जिसके द्वारा मिलों के साथ एग्रीमेंट करने में कठिनाई हो रही है। उसकी समीक्षा कर अन्तिम रूप से मिल टैगिंग हेतु प्रस्ताव देना सुनिश्चित करें, ताकि धान अधिप्राप्ति एवं मिलिंग में व्यवधान उत्पन्न न हो।

(अनु0 : जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम/प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी)

जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर अधिप्राप्ति कार्य हेतु 2020–21 के प्रचार प्रसार के लिए तत्काल सभी प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालयों/अनुमण्डल कार्यालय, बक्सर/डुमरॉव, समाहरणालय एवं जिला निबंधन कार्यालय परिसर में अधिप्राप्ति से संबंधित बैनर लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

AB 19/1/21

जिला पदाधिकारी

बक्सर

ज्ञापांक 04-76 /आ0, दिनांक 19/01/2021

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, बक्सर/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– वरीय उप समाहर्त्ता, धान अधिप्राप्ति, बक्सर जिला को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त बक्सर/अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

AB 19/1/21

जिला पदाधिकारी

बक्सर